न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024 / 89

1. प्रहलाद पुत्र श्रवणलाल जाति रेगर निवासी नाडी भावपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
2. रामप्रताप पुत्र श्रवणलाल जाति रेगर निवासी नाडी भावपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
3. कन्हैयालाल पुत्र भूरा जाति रेगर निवासी नाडी भावपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
4. गुलाब बाई बेवा भूरा जाति रेगर निवासी नाडी भावपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
5. मन्जू बाई पुत्री भूरा जाति रेगर निवासी नाडी भावपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
6. राधेश्याम पुत्र भूरा जाति रेगर निवासी नाडी भावपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
7. हरिप्रसाद पुत्र भूरा जाति रेगर निवासी नाडी भावपुरा तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।

–अपीलांटगण

बनाम

1. दिनेश सोनी पुत्र मोहनलाल जाति स्वर्णकार निवासी गांधीपुरा लाखेरी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज0।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी राज.।

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहसः– 1. श्री हरिप्रसाद कंवरिया, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2.श्री किशन अग्रवाल अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः 01.10.2024

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 83 / 2022 में पारित निर्णय दिनांक 02.05.2024 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थी की कब्जे काश्त व खातेदारी की कृषि भूमि ख.स. 660 रकबा 0.32 हेक्टर, ख.सं. 669 रकबा 0.70 हैक्टर, ख.स. 670 रकबा 0.04 हेक्टर, ख.सं. 671 रकबा 0.26 हैक्टर, ख.स. 672 रकबा 0.22 हेक्टर, ख.स. 673 रकबा 0.22 हेक्टर,. ख.स. 674 रकबा 0.23 हैक्टर, ख.सं. 675 रकबा 0.03 हैक्टर, ख.सं. 677 रकबा 0.04 हैक्टर, ख.स. 678 रकबा 0.01 हैक्टर कुल खसरा किता 10 योग रकबा 1.44 हैक्टर वाके ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में स्थित है। प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर शुरू से ही ख.स. 679, 697, 696, 695 एवं ख.सं. 693 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे आता जाता रहा है तथा कृषि उपकरण, फसल इत्यादि इसी मेड के सहारे सहारे लाता ले जाता रहा है। उक्त खसरा संख्या अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रार्थी के आने–जाने के रास्ते को बन्द करने पर आमादा है जबकि प्रार्थी हमेशा से इस रास्ते का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी को हिदायत दी है कि हमारे खेतों में सेन नहीं निकलेगा और न ही हल कुली ट्रेक्टर इत्यादि कृषि उपकरण निकालेगा। प्रार्थी के पास उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौके पर प्रार्थी की कृषि भूमियों पर आने जाने के लिए उपलब्ध नहीं है। यदि अप्रार्थिगण 1 व 2 की खातेदारी कृषि भूमि ख.सं. 679, 697, 696, 695, 693 की उत्तरी मेड के सहारे सहारे रास्ता नहीं दिया गया तो प्रार्थी अपनी खातेदारी कृषि भूमि पर आने जाने से वंचित हो जायेगा तथा काश्त भी नहीं कर सकेगा जिससे प्रार्थी को आर्थिक नुकसान उठाना पडेगा जिसकी भरपाई प्रार्थी नहीं कर सकता और निवेदन किया कि प्रार्थी को उक्त खसरा संख्याओं की उत्तरी मेड के सहारे सहारे 15 फिट चौडाई में रास्ता दिया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम किया जावे प्रार्थी नियमानुसार राशी अदा करने को तैयार है।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 02.05.2024 के द्वारा प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता अपीलांटगण की खातेदारी की भूमि में से कायम किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.05.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.05.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.05.2024 निरस्त किया जावे ।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

अपील संख्या 2024/89

प्रहलाद बनाम दिनेश, राजस्थान सरकार

5. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत की तथा अपनी बहस में अपील मेमों व लिखित बहस में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश वस्तुस्थिति एवं विधान के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र में तथ्य अंकित किये है कि उसके खाते की कृषि भूमि पर आने जाने का रास्ता खसरा संख्या 679, 697, 696, 695 एवं खसरा संख्या 693 की उत्तरी मेड के सहारे बताया है। जबकि अपीलान्ट/ अप्रार्थीगण स्पष्ट रूप से कथन किया है कि प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट उसके खाते की भूमियों पर मेगा हाईवे से भावपुरा के रास्ते से होता हुआ खसरा सख्या 680 सिवायचक भूमि से होकर प्रार्थी के खाते की भूमि खसरा संख्या 677 पर होकर अपनी शेष भूमियों पर आता जाता रहा है। तहसीलदार महोदय ने भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रार्थी का रास्ता कृषि भूमि खसरा संख्या 679, 697, 696 695 एवं खसरा संख्या 693 के उत्तरी मेड पर होकर कभी नही रहा, अपितु बाबा की दरगाह की तरफ होकर रहा है। तथापि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टगण के खाते की भूमि के बीच में होकर प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट को 15 फीट चौडा रास्ता देकर तथ्यों एवं विधि की भूल की है। तहसीलदार महोदय ने पटवारी रिपोर्ट के आधार पर रेल्वे विभाग द्वारा सुरक्षा दीवार बनाने से प्रार्थी के खेतो पर जाने का रास्ता बन्द हो गया हो गलत अंकित किया है तथा अपीलान्ट द्वारा प्रार्थी के पूर्व मे मेगा हाईवे पर होकर भावपुरा जाने वाले रास्ते खसरा संख्या 680 सिवायचक भूमि पर होकर प्रार्थी के खाते की भूमि खसरा संख्या 677 पर होकर शेष भूमि पर आता जाता रहा है जो रास्ता अभी भी निर्बाध रूप से चालू है। तथापि पटवारी हल्का ने प्रार्थी से मिलीभगत करके मौके की गलत रिपोर्ट की है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय देकर विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों की साक्ष्य दर्ज किये बिना ही केवल मात्र तहसीलदार महोदय की एक तरफा रिपोर्ट के आधार पर चुनौतिग्रस्त निर्णय देकर कानूनी भूल की है। रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी की भूमियों पर आने जाने का स्पष्ट रूप से मौके पर रास्ता उपलब्ध होते हुए भी अपीलान्टगण के खेतो के बीच में होकर नया रास्ता दिये जाने के आदेश देकर कानूनी भूल की है। प्रार्थी स्वंय ने अपनी कृषि भूमि खसरा संख्या 677 में दयाराम गुर्जर का मकान बनवा दिया है जिससे रास्ता संकडा हो गया है। जिसके लिए स्वंय प्रार्थी उत्तरदायी है, वह दयाराम गुर्जर से रास्ते का अतिक्रमण हटवाये तथा प्रार्थी उक्त कृषि भूमि पर काश्तकारी न करके बिना लाईसेन्स के ईट

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ★ ★ कोटा

उद्योग के भटटे चला रहा है तथा जिसके लिए वह ट्रक आने जाने के लिए 15 फीट चौडा रास्ता मांग रहा है जबकि कृषि उपकरणो के लाने ले जाने के लिए मात्र 10 फीट का रास्ता पर्याप्त होता है अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर गौर नही करके चुनौतिग्रस्त निर्णय जारी करने में विधिक भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थानरकाश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क के विधिक प्रावधानों की पालना किए बिना बिना प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है। प्रश्नगत रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की आत्यांतिक आवश्यकता का रास्ता नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उसकी खातेदारी की भूमि में पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ते का अभाव सिद्ध किया गया है। मोके पर वैकल्पिक रास्ता विद्यामान है जिसका उपयोग प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वयं की खातेदारी की भूमि में आने—जाने हेतु करता चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में तहसीलदार की रिपोर्ट को आधार बनाया गया है परन्तु कोई रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत विवादित रास्ते की रिपोर्ट पर कोई आपत्ति नहीं ली गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने के बावजूद नया रास्ता कायम किया गया है। प्रश्नगत विवादित रास्ते की रिपोर्ट राजस्व अधिकारियों/कार्मिकों द्वारा मोके पर जाकर तैयार नहीं की गई है। वैकल्पिक रास्ता होने के बावजूद भी वैकल्पिक रास्ते को रिपोर्ट मे नहीं दर्शाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत रास्ते की रिपोर्ट सक्षम अधिकारियों द्वारा तैयार नहीं करवाई गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 68 से 70 की पालना नहीं की गई है। अपनी बहस के समर्थन विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2021(2) रामेश्वर बनाम महाराम, आर.आर.टी. 2022—23 प्रमोद बनाम सरजीत सिंह, आर.आर.टी. 2023(2) चेतनराम वगैरा बनाम पूराराम वगैरा, आर.आर.टी. 2021(2) जगदीश बनाम केसरराम, 2023(2) आर.आर.टी. पेज 1165, 2022—23(सप्लीमेंट्री) आर.आर.टी. पेज 282 प्रस्तुत किए तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251—क का अवलोकन करवाया। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 02.05.2024 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो रास्ता अपीलांट की भूमि में कायम किया है वह रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि में आने—जाने हेतु एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि में आने जाने हेतु मौके पर विद्यमान नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत रास्ते के संबंध में रिपोर्ट तलब की। प्रश्नगत रास्ते की रिपोर्ट पटवारी हल्का व भू—अभिलेख निरीक्षक द्वारा विधिवत रूप से तैयार की गई । उक्त रिपोर्ट में भी प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता अपीलांटगण की भूमि में होने का अंकन है। उक्त रिपोर्ट पटवारी हल्का व भू—अभिलेख निरीक्षक द्वारा विधि अनुसार तैयार

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

की गई है, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रश्नगत रास्ता अपीलांटगण की भूमि में कायम किये जाने का निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है। प्रश्नगत रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आत्यांतिक आवश्यकता का रास्ता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनंक 02.05.2024 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपनी बहस के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से न्यायिक दृष्टांत 2016–17(सप्लीमेंट्री) आर.आर.टी. पेज 677 प्रस्तुत किया। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.05.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रालवी के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया।. प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया। प्रश्नगत रास्ते की रिपोर्ट दिनांक 05.01.2024 व दिनांक 17.01.2023 पटवारी हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई है। विवादित रास्ते की रिपोर्ट दिनांक 05.01.2024 में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते की प्रश्नगत भूमि में आने जोन हेतु कोई मार्ग उपलब्ध नहीं होने का अंकन है। प्रश्नगत रिपोर्ट दिनांक 05.01.2024 में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 707, 708, 709 व खसरा नम्बर 694, 695, 697 की मेड़ से एवं 698 के मध्य से दिया जाना प्रस्तावित है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं होने का अंकन है। प्रश्नगत रिपोर्ट दिनांक 05.01.2024 में अंकित नजरी नक्शे में प्रस्तावित रास्ते को डोटेड लाईन से दर्शाया गया है। मोका रिपोर्ट दिनांक 17.01.2023 में भी प्रश्नगत रास्ता खसरा नम्बर 707, 708, 709 व खसरा नम्बर 694, 695, 697 की मेड़ से एवं 698 के मध्य से दिया जाना प्रस्तावित है। अतः मोका रिपोर्ट दिनांक 05.01.2024 के अनुसार प्रश्नगत रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते की भूमि में आने–जाने हेतु लघुतम दूरी का एकमात्र रास्ता है तथा इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि में आने जाने हेतु विद्यमान नहीं है। मोका रिपोर्ट दिनांक 05.01.2024 विधिक प्रकिया की पालना करते हुए तैयार की गई है तथा उक्त विधिक रूप से तैयार की गई रिपोर्ट दिनांक 05.01.2024 के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम 1955 के नियम 68 से 70 की पालना करते हुए प्रश्नगत निर्णय दिनांक 02.05.2024 पारित किया है जो विधि सम्मत है। अपीलांटगण का कथन है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वयं के खाते की भूमि में

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

आने–जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 679, 967, 696, 695 एवं 693 के उत्तरी मेंढ पर कभी भी विद्यमान नहीं रहा है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपने खाते की भूमि में आने जाने हेतु मेगा हाईवे से भावपुरा के रास्ते होता हुआ खसरा नम्बर 680 सिवायचक भूमि पर स्थित रास्ते से होकर अपने खाते की भूमि खसरा नम्बर 677 में होकर अपनी शेष भूमियों मे आता जाता रहा है तथा उक्त रास्ता अभी भी निर्बाध रूप से चालू है। मोका रिपोर्ट दिनांक 05.01.2024 के बिन्दु संख्या 2 में अंकन इस प्रकार है– "उक्त खसरा नम्बरान पर जाने हेतु वर्तमान में कोई मार्ग उपलब्ध नहीं है। खातेदार पूर्व में दरगाह की तरफ जाने वाले रास्ते से आता जाता था लेकिन रेलवे के सुरक्षा दीवार बनाये जाने से खातेदार दिनेश कुमार सोनी का रास्ता बन्द हो गया है।" अतः हमारे मत में अपीलांटगण का यह कथन सही है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 पूर्व में अपने खाते की भूमि में दरगाह की तरफ जाने वाले रास्ते से आता जाता था, परन्तु मोका रिपोर्ट दिनांक 05.01.2024 के अनुसार वर्तमान में रेलवे द्वारा सुरक्षा दीवार बनाये जाने के कारण उक्त रास्ता बन्द हो गया है। अतः वर्तमान में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते की भूमि में आने–जाने हेतु कोई वैकल्पिक मार्ग मोके पर विद्यमान नहीं है। मोका रिपोर्ट दिनांक 05.01.2024 में भी वर्तमान में अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विद्यमान होने का अंकन नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांटगण मोके पर वर्तमान में वैकल्पिक रास्ता विद्यमान होने का कथन प्रमाणित करने में असफल रहे है। हमारे मत में यदि मोके पर कोई वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नहीं हो तो ऐसी स्थिति में कानूनन नया रास्ता कायम किया जा सकता है। इसके सम्बंध में विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने हमारे समक्ष न्यायिक दृष्टांत 2016–17(सप्लीमेंट्री) आर.आर.टी. 677 प्रस्तुत किया है जो हस्तगत प्रकरण की तथ्यों एवं परिस्थितियों पर चस्पा होता है। चूंकि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि में आने जाने हेतु वर्तमान में कोई वैकल्पिक रास्ता विद्यामन नहीं है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मोका रिपोर्ट दिनांक 05.01.2024 में प्रस्तावित रास्ता कायम किए जाने का जो निर्णय दिनांक 02.05.2024 पारित किया है वह विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.05.2024 विधि सम्मत होने इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 83/2022 में पारित निर्णय 02.05.2024 यथावत रखा जाता है।

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 01.10.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1/10/24

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा